नम्बर
अहकाम
तामील मे

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
16/17	अस्थायी निषेधाज्ञा	29.06.17	12.11.18

मथुरा पुत्र चतुरा जाति मीना निवासी किराड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र भोला 2. रामराज 3. मुनीम 4. मुकेश 5. सिरदास पि0 सीताराम 6. प्रहलादी पत्नि सीताराम 7. फूलबाई पत्नि मुनीम 8. काड़ी पत्नि सिरदास 9. मोहरबाई पत्नि रामराज 10. प्रकाशी देवी पत्नि मुकेश सभी जाति मीना निवासी किराड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी वकील प्रार्थी।
श्री कमरपाल मीना वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 278/226 रकबा 05 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसमे अप्रार्थीगण का कोइ वास्ता नही है। प्रार्थी दिनांक 10.6.2017 को सुबह 8 बजे करीब साफ सफाई करने गया तो दर्ज अप्रार्थी सं0 1 ता 10 सभी हाथों में लाठी गंडासी लेकर मौके पर आ गये आते ही एलानिया धमकी देकर कहा कि हम तुझे उक्त भूमि पर फसल काश्त नही करने देगें। अप्रार्थीगण को ऐसा नही करने के लिए कहा तो एक नही मानी और मौके पर ही आमाद फिसाद हो गये। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीयान ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है ना ही कभी प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर अप्रर्थीगण को नाजायज परेशान करता रहता है जबकि प्रार्थी का बिना कब्जा के अस्थीय निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी चतुर, चालाक एवं राजनैतिक व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण से द्वेषता रखते हुए परेशान करता रहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 के मुताबिक प्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण का बहस के दौरान दिया गया यह तर्क कि विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है तथा राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण को परेशान कर रहा है। विवादित आराजी का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है यह बात जमाबंदी सम्वत् 2070–73 ग्राम किराड़ी से स्पष्ट है। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी

Scanned by CamScanner

पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही होने के सम्बन्ध मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा हो। तथा ना ही अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी की खातेदारी कैसे और कब गलत दर्ज हो गई, के सम्बन्ध मे भी कोई प्रमाण पेश नही किया है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा खसरा नं0 278/226 रकबा 05 बीघा के कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स मथुरा vs सीताराम बगैरा T-9	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
5/18	वकील वादीगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बदल जाने के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 18/9/18 को पेश हो।	
29/10/18	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 12/11/18 को पेश हो।	
12/11/18	वकील वादीगण उपस्थित। प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner